



कार्यालय नगर पालिका इटावा
जिला कोटा (राज.)



E-mail id – npitawa01@gmail.com

Phone No. – 07458-294015



क्रमांक : न.पां.इ. / 2025-26 / 5906

दिनांक : 23/1/26

—: भूमि उपयोग प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी की पीपल्दा रोड, इटावा में स्थित खसरा नम्बर 1007 रकबा 3200 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 1005 रकबा 1400 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 2567 रकबा 7200 वर्गमीटर भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित है, जिसका कुल भूमि क्षेत्र 11800 वर्गमीटर है, जो बहुविषयक एवं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है।

(राजू लाल मीणा)
अधिसाधी अधिकारी
नगरपालिका इटावा

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)



कार्यालय नगर पालिका इटावा जिला कोटा (राज.)

E-mail id – npitawa01@gmail.com

Phone No. – 07458-294015



क्रमांक : न.पा.इ. / 2025-26 / 6091

दिनांक : 02.02.2026

प्रारूप-11 नियम - 7(1)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं.....वर्ष

सचिव आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

- उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदक किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
पीपल्दा	इटावा	1005	रकबा 0.14 है०
		1007	रकबा 0.32 है०
		2567	रकबा 0.72 है०
			कुल रकबा 1.18 है०

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व ,खसरा अनुरेख सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्धपत्र और शपथ पत्र, की मेप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह की मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने सम्बन्धित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के लिए वाछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीमके अनुरूप है आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृत अधिकारी निर्वापित करके भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 2567 रकबा 0.72 है०, कुल रकबा 1.18 है० की ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि,नियमो,विनियमो या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम,नगरीय, निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

(राजू लाल मीणा)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका इटावा

दिनांक: 02.02.2026

क्रमांक / न.पा.इ. / 2025-26 / 6092-93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

- सचिव / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका इटावा।
- तहसीलदार पीपल्दा तहसील को पूर्वोत्तर भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- सचिव आस्था शोध एवं विकास संस्था बून्दी।

(राजू लाल मीणा)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका इटावा

PRINCIPAL
ASTHA MAHAVIDYALAYA
ITAWA KOTA (RAJ.)